

355

⑨

165

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

बल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक एफ-1-10/05/20-1 भोपाल, दिनांक 21/12/2005

प्रति

1. समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
मध्यप्रदेश।
3. समस्त आयुक्त,  
नगर निगम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी / नगर पंचायत,  
मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी / जनपद पंचायत,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- शिक्षाकर्मियों का अन्य निकायों में संविलियन बाबत।

-0-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2005 द्वारा महिला तथा विकलांग शिक्षाकर्मियों के संविलियन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि शिक्षाकर्मियों को पारस्परिक अदला-बदली द्वारा सेवा के संविलियन की सुविधा भी दी जाय। ऐसे मामलों में एक निकाय से दूसरे निकाय में सेवाओं के संविलियन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. पारस्परिक सेवाओं का संविलियन समान वर्ग और समान विषय के शिक्षाकर्मियों के बीच होगा।
2. शिक्षाकर्मियों द्वारा सेवाओं की पारस्परिक अदला-बदली के लिए संयुक्त रूप से आवेदन दोनों निकायों की अनापत्ति के लिए प्रस्तुत दि गे जावेगें।
3. आवेदन प्राप्त होने पर दोनों निकायों के मुख्य कार्य जन अधिकारी आवेदन परीक्षण उपरांत अनापत्ति पत्र जारी करेंगे। यह अनापत्ति संबंधित आवेदकों को संबोधित होगी और उस निकाय को पृष्ठांकित होगी जिस निकाय में सेवाओं को संविलियन के लिए दिया जा रहा है।
4. यदि पारस्परिक अदला-बदली जिले के अंतर्गत एक निकाय से दूसरे निकाय के बीच हो तो दोनों शिक्षाकर्मियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ जिले के कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। अंतर-जिला अदला-बदली की स्थिति में आवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रस्तुत किया जावेगा। कलेक्टर/आयुक्त द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत संविलियन के लिए अनुमति की सूचना संबंधितों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दी जावेगी।

5. संविलियन के आदेश जारी होने के बाद ही संबंधित शिक्षाकर्मियों को कार्य नुव किया जावेगा।
6. एक निकाय से दूसरे निकाय में संविलियन की स्थिति में संबंधित निकाय व शिक्षाकर्मियों के सर्वांग में बरिष्ठता सभी से नीचे मान्य होगी।

(जी.के. श्रीवास्तव)

सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक F 1-10/2005/20-1

भोपाल, दिनांक 21/12/2005

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, म.प्र. भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष क्र. 84, मंत्रालय, भोपाल।
4. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, म.प्र. भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
9. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
10. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
11. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म.प्र. भोपाल।
12. समस्त, सभागायुक्त, म.प्र.।
13. संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तुलसी नगर, म.प्र. भोपाल।
14. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
16. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/समस्त जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
17. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग